



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 749]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 960(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 269धप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये 1 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 119क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“119कक. धारा 269धप के प्रयोजन के लिए संदाय की पद्धति.— प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई कारबार कर रहा है, यदि कारबार में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्व वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपए से अधिक है तो वह, ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संदाय की अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धतियों की सुविधा के अतिरिक्त, यदि कोई हो, निम्नलिखित इलैक्ट्रॉनिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा, अर्थात्:—

- (i) रुपए द्वारा सशक्त डेबिट कार्ड;
- (ii) यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)(भीम-यूपीआई); और
- (iii) यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रेस्पॉन्स कोड (यूपीआई क्यूआर कोड) (भीम-यूपीआई क्यूआर कोड)।”

[अधिसूचना सं. 105/2019/फा. सं. 370142/35/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम रूप से संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 937(अ), तारीख 18 दिसंबर 2019 के माध्यम से आय-कर (15वां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

G.S.R. 960(E).—In exercise of the powers conferred by section 269SU read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (16th Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from 1st day of January, 2020.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 119A, the following rule shall be inserted, namely:—

“119AA. Modes of payment for the purpose of section 269SU.- Every person, carrying on business, if his total sales, turnover or gross receipts, as the case may be, in business exceeds fifty crore rupees during the immediately preceding previous year shall provide facility for accepting payment through following electronic modes, in addition to the facility for other electronic modes of payment, if any, being provided by such person, namely:—

(i) Debit Card powered by RuPay;

(ii) Unified Payments Interface (UPI) (BHIM-UPI); and

(iii) Unified Payments Interface Quick Response Code (UPI QR Code) (BHIM-UPI QR Code).”.

[Notification No.105/2019/F. No. 370142/35/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26th march, 1962 and were last amended by the Income-tax (15th Amendment) Rules, 2019 *vide* notification No. G.S.R. 937(E), dated the 18th December, 2019.